"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/ तक. 114-009/2003/20-01-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 32] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 8 अगस्त 2008—श्रावण 17, शक 1930

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

एतद्द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं श्रीमती वर्षा जोशी पति श्री विकास कुमार जोशी, उम्र 36 वर्ष, निवासी -बजरंग भवन, रिंग रोड, नमनाकला, अम्बिकापुर, थाना व तह. अम्बिकापुर, जिला-सरगुजा (छ. ग.) की हूं. विवाह के पूर्व मेरा नाम कुमारी रंजना माडीकर आत्मजा श्री आनन्द राव माडीकर, निवासी-टिकरापारा, रामदास नगर, बिलासपुर, जिला-बिलासपुर छ. ग. था जो कि मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों में अंकित है, जिसे परिवर्तित कर मैं अपना नाम श्रीमती वर्षा जोशी पति श्री विकास कुमार जोशी रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में समक्ष प्राधिकारी के समक्ष शपत्र-पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अत: अब मुझे श्रीमती वर्षा जोशी पति श्री विकास कुमार जोशी के नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम
कु. रंजना माडीकर
आत्मजा-श्री आनन्द राव माडीकर
निवासी-टिकरापारा, रामदास नगर, बिलासपुर
जिला-बिलासपुर (छ. ग.)

नया नाम
श्रीमती वर्षा जोशी
पति-श्री विकास कुमार जोशी
निवासी-बजरंग भवन, रिंग रोड
नमनाकला, अम्बिकापुर
जिला-सरगुजा (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

एतद्द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं हरीश शर्मा आत्मज श्री सालिक शर्मा, उम्र 43 साल, निवासी-ग्राम सेलूद, पो. आ. सेलूद, थाना उतई, तहसील-पाटन, जिला-दुर्ग (छ. ग.) का हूं . मैं अपनी पुत्री शालिनी , उम्र 13 वर्ष का नाम परिवर्तित कर कु. अपूर्वा शर्मा रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मेरी पुत्री को कु. अपूर्वा शर्मा आत्मजा श्री हरीश शर्मा के नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम	नया नाम
कु. शालिनी	कु. अपूर्वा शर्मा
आत्मजा-श्री हरीश शर्मा	आत्मजा-श्री हरीश शर्मा
निवासी ग्राम सेलूद, पो. आ. सेलूद	निवासी ग्राम सेलूद, पो. आ. सेलूद
तह. पाटन, जिला-दुर्ग (छ. ग.)	तह. पाटन, जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

एतद्द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं हरीश शर्मा आत्मज श्री सालिक शर्मा, उम्र 43 साल, निवासी-ग्राम सेलूद, पो. आ. सेलूद, थाना उतई, तहसील-पाटन, जिला-दुर्ग (छ. ग.) का हूं . मैं अपने पुत्र सतीश कुमार , उम्र 12 वर्ष का नाम परिवर्तित कर अशुतोष शर्मा रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मेरे पुत्र को अशुतोष शर्मा आत्मजा श्री हरीश शर्मा के नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम	नया नाम
सतीश कुमार	अशुतोष शर्मा
आत्मज-श्री हरीश शर्मा	आत्मज-श्री हरीश शर्मा
निवासी ग्राम सेलूद, पो. आ. सेलूद	निवासी ग्राम सेलूद, पो. आ. सेलूद
तह. पाटन, जिला-दुर्ग (छ. ग.)	तह. पाटन, जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

एतद्द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं नेहा यादव पिता स्वर्गीय रामबहादुर थापा, उम्र 27 वर्ष, निवासी लक्ष्मी नगर सुपेला, भिलाई, तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) की हूं . मैं अपनी नाम परिवर्तित कर प्रतिमा थापा रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अत: अब मुझे प्रतिमा थापा पिता स्वर्गीय रामबहादुर थापा के नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम	नया नाम
नेहा यादव	प्रतिमा थापा
पिता स्वर्गीय रामबहादुर थापा	पिता स्वर्गीय रामबहादुर थापा
निवासी लक्ष्मी नगर, सुपेला, भिलाई	निवासी लक्ष्मी नगर, सुपेला, भिलाई
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)	तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

एतद्द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं कु. अन्जू एन. मैथ्यू आत्मजा श्री व्ही. ए. मथाई, उम्र 24 साल, निवासी द्वारा श्री के. पी. चाको, प्रगति नगर रिसाली, 154/66, भिलाई, तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) की हूं . मैं अपने उपनाम एन. मैथ्यू को परिवर्तित कर कु. अन्जू मथाई रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अत: अब मुझे कु. अन्जू मथाई आत्मजा श्री व्ही. ए. मथाई के नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम	नया नाम
कु. अन्जू एन. मैथ्यू	कु. अन्जू मथाई
आत्मजा श्री व्ही. ए. मथाई	आत्मजा श्री व्ही. ए. मथाई
निवासी 154/66, प्रगति नगर, रिसाली, भिलाई	निवासी 154/66, प्रगति नगर, रिसाली,भिलाई
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)	तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट, सरायपाली, जिला-महासमुन्द (छ. ग.)

सराइपाली, दिनांक 17 जुलाई 2008

क्रमांक क/वा-1/08.—एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि न्यायालय रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट, सरायपाली के पंजीयन में रा. मा. क्र. ब-113 वर्ष 07-08 दर्ज दिनांक 10-10-07 पर ट्रस्ट का नाम माधव कृपा सरायपाली ट्रस्ट का पंजीयन दिनांक 17-7-2008 को किया गया है. इस ट्रस्ट की सम्पत्ति अनुसूची इस प्रकार है :-

अनुसूची

(ट्रस्ट का नाम एवं पता तथा संपत्ति का विवरण)

1.	ट्रस्ट का नाम	:	श्री माधव कृपा सरायपाली ट्रस्ट
2.	अचल संपत्ति	:	निरंक
3.	चल संपत्ति	:	साहित्य पुस्तकें 660 नग मूल्य 30792.00 रुपये अलमारी 2 नग मूल्य 5000.00 रुपये टेबल 2 नग मूल्य 2000.00 रुपये कुर्सिया 8 नग मूल्य 1600.00 रुपये बेंच 2 नग मूल्य 1400.00 रुपये नगद राशि 5000.00 रुपये

ट्रस्ट का परिवर्तित नाम-माधव कृपा सरायपाली ट्रस्ट, ट्रस्टियों की संख्या 1. अध्यक्ष श्री सुरेन्द्र उपवेजा, कमल जनरल स्टोर्स पदमपुर रोड सरायपाली 2. उपाध्यक्ष-श्री त्रिलोचन पटेल ग्राम सरायपाली 3. सचिव-श्री शत्रुधन पुजारी, वार्ड क्रमांक 8 झिलमिला, 4. कोषाध्यक्ष-श्री बिहारीलाल अग्रवाल, सरसीवां मार्ग सरायपाली, 5. सह-सचिव-श्री संजय शर्मा, गीता भवन के पास सरायपाली, 6. सदस्य-श्री प्रमोद त्रिपाठी, ग्राम/पोस्ट बोंदा श्री रामचन्द्र अग्रवाल गणेश टी. बी. सेन्टर बसना.

अरविंद शर्मा,
रजिस्टार.

अन्य सूचनाएं

कार्यालय, संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर (छ. ग.)

बिलासपुर, दिनांक 22 जुलाई 2008

क्रमांक /परिसमापन/2008/1498.—दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या. हिर्री, विकासखण्ड मस्तुरी जिला बिलासपुर, पंजीयन क्रमांक 3841 विगत वर्षों से अकार्यशील रहने के कारण छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के तहत कारण बताओं सूचना जारी किया गया था. कारण बताओं सूचना का जवाब प्रस्तुत नहीं होने तथा भविष्य में, कार्यशील होने की संभावनाएं नहीं होने के फलस्वरूप उक्त संस्था को परिसमापन में लाते हुए सहकारिता विस्तार अधिकारी, मस्तुरी को परिसमापक नियुक्त किया गया है.

संस्था के परिसमापक सहकारिता विस्तार अधिकारी, मस्तुरी द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है कि रायपुर दुग्ध संघ से परिवहन की व्यवस्था नहीं होने के फलस्वरूप समिति का कार्य बंद हो गया था. वर्तमान में रायपुर दुग्ध संघ द्वारा परिवहन व्यवस्था की जा चुकी है.

परिसमापक द्वारा यह प्रतिवेदन दिया गया कि समिति के सदस्यों की बैठक आहूत की गई. उक्त बैठक में यह निर्णय लिया गया कि तत्समय परिवहन व्यवस्था नहीं होने के फलस्वरूप समिति का कार्य बाधित हुआ था जो कि व्यवस्थित हो चुका है. वर्तमान में सभी सदस्य संस्था को पुनर्जीवित करने का निर्णय लिया गया. परिसमापक भी समिति को पुनर्जीवित करने की अनुशंसा की है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के अध्ययन से समिति को पुर्नजीवन करना सदस्यों के हित में है.

अतः छ. ग. सहकारी सोयायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(4) के तहत पुनर्जीवित करने का आदेश पारित करता हूं.

डी. एस. ठाकुर,
संयुक्त पंजीयक.

बिलासपुर, दिनांक 24 जुलाई 2008

क्र./परिसमापन/2008/1522.—महिला बहुद्देशीय सहकारी समिति मर्या., सेमरा, पंजीयन क्रमांक 179 दिनांक 24-11-2004 को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के अन्तर्गत कारण बताओं सूचना पत्र क्र. 584 दिनांक 7-3-2008 द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ.

अतः संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) तहत् छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99 पन्द्रह-1ए/बी/सी दिनांक 26-07-1999 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का प्रयोग करते हुए मैं एन. कुजूर, सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं बिलासपुर, महिला बहुद्देशीय सहकारी समिति मर्यादित, सेमरा को परिसमापन में लाता हूं तथा सहकारिता विस्तार अधिकारी, कोटा को उक्त अधिनियम की धारा 70 (1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

बिलासपुर, दिनांक 24 जुलाई 2008

क्र./परिसमापन/2008/1533.—किसान फलोद्यान एवं साग सब्जी उत्पादक विपणन एवं प्रक्रिया स. स., बिलासपुर, पंजीयन क्रमांक 3502 दिनांक 24-4-93 को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्र. 863 दिनांक 24-4-2008 द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ.

अतः संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) तहत् छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99 पन्द्रह-1ए/बी/सी दिनांक 26-07-1999 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का प्रयोग करते हुए मैं एन. कुजूर, सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं बिलासपुर, किसान फलोद्यान एवं साग सब्जी उत्पादक वि. प्र. सह. स., बिलासपुर को परिसमापन में लाता हूं तथा श्री एल. एल. ध्रुव, वरि. सह. निरीक्षक को उक्त अधिनियम की धारा 70 (1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

बिलासपुर, दिनांक 26 जुलाई 2008

क्र./परिसमापन/20081555.—कृषक कल्याण साख सहकारी समिति मर्यादित, तखतपुर, पंजीयन क्रमांक 181 दिनांक 13-12-2004 को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के अनतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्र. 1126 दिनांक 31-5-2008 द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ.

अत: संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) तहत् छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99 पन्द्रह-1ए/बी/सी दिनांक 26-07-1999 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित है का प्रयोग करते हुए मैं एन. कुजूर, सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं बिलासपुर कृषक कल्याण साख सहकारी समिति मर्यादित, तखतपुर को परिसमापन में लाता हूं तथा सहकारिता विस्तार अधिकारी तखतपुर को उक्त अधिनियम की धारा 70 (1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

बिलासपुर, दिनांक 26 जुलाई 2008

छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम 1960 के नियम 18(1)(2) के अन्तर्गत

क्रमांक/परिसमापन/2008/1556.—इस कार्यालय का आदेश क्रमांक /परिसमापन/914/बिलासपुर, दिनांक 23-7-2008 के तहत् सत्यम प्राथमिक उपभोक्ता भंडार सहकारी समिति मर्यादित, कस्तुरबा नगर बिलासपुर, पंजीयन क्रमांक 3586 दिनांक 20-1-95, विकासखण्ड बिल्हा, जिला बिलासपुर को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 (1) के तहत श्रीमति शोभा बंदे, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक द्वारा परिसमापन का सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं एन. कुजूर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर, छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99 पन्द्रह-1 /सी. दिनांक 26-7-1999 के अन्तर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का उपयोग करते हुए छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 18(1)(2) के तहत संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था निगम निकाय (बाडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक .... को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुहर से जारी किया गया.

एन. कुजूर,
सहायक पंजीयक.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित -2008.